"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 21] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 25 मई 2007—ज्येष्ठ 4, शक 1929

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 मई 2007

क्रमांक ई-01-01/2007/एक/2.—सुश्री ओमेगा यूनाईस टोप्पो, भा. प्र. से. (2000), उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति विकास विभाग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक उप सचिव, सहकारिता विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

2. श्री एस. एल. रात्रे, भा. प्र. से. (2000), अपर कलेक्टर, रायगढ़ को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक अपर कलेक्टर, दुर्ग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

3. श्रीमती रितु सैन, भा. प्र. से. (2003), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बस्तर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक उपायुक्त, क्षेत्रीय विकास आयुक्त कार्यालय, सरगुजा के पद पर पदस्थ किया जाता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.

4. श्री अन्बलगन पी., भा. प्र. से. (2004), अनुविभागीय अधिकारी, दंतेवाड़ा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दंतेवाड़ा के पद पर पदस्थ किया जाता है.

5. श्री प्रसन्ना आर., भा. प्र. से. (2004), अनुविभागीय अधिकारी, सरगुजा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जगदलपुर (बस्तर) के पद पर पदस्थ किया जाता है.

6. श्रीमती अलरमेलमंगई डी., भा. प्र. से. (2004), सहायक कलेक्टर, बस्तर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक अनुविभागीय अधिकारी, दंतेवाड़ा के पद पर पदस्थ किया जाता है.

7. श्री रामसिंह ठाकुर, भा. प्र. से., अपर कलेक्टर, बीजापुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक अपर कलेक्टर, गरियाबंद, जिला रायपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

8. श्री एन. के. खाखा, भा. प्र. से., अपर कलेक्टर, महासमुन्द को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक उपायुक्त, क्षेत्रीय विकास आयुक्त कार्यालय, बस्तर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

9. श्रीमती रितु सैन एवं श्री एन. के. खाखा द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 के नियम-9 के तहत उपायुक्त, क्षेत्रीय विकास आयुक्त कार्यालय, सरगुजा एवं बस्तर के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अपर कलेक्टर वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

रायपुर, दिनांक 12 मई 2007

क्रमांक/ई 01-01/2007/एक/2.—श्री नारायण सिंह, भा. प्र. से. (1977) सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी/श्रम विभाग एवं श्रमायुक्त को सचिव, सहकारिता विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

2. श्री पी. सी. दलेई, भा. प्र. से. (1984) सचिव, महामहिम राज्यपाल एवं सचिव, सहकारिता/खेल एवं युवक कल्याण विभाग को सहकारिता विभाग के प्रभार से मुक्त करते हुए अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

3. श्री पी. रमेश कुमार, भा. प्र. से., (डब्लू. बी. 1986) (अत:संवर्गीय प्रतिनियुक्ति) को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

4. श्री सी. के. खेतान, भा. प्र. से. (1987) सचिव, स्कूल शिक्षा/नगरीय विकास विभाग/आयुक्त सह संचालक, नगरीय प्रशासन को सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग के प्रभार से मुक्त करते हुए अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सचिव, ग्रामोद्योग विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

5. श्री बी. एल. अग्रवाल, भा. प्र. से. (1988) सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सचिव, श्रम विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है तथा उन्हें श्रम आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

6. श्री नन्दकुमार, भा. प्र. से. (एम. एच. 1989) सचिव, ग्रामोद्योग, सामान्य प्रशासन (सूचना का अधिकारी) सचिव, सूचना आयोग एवं सदस्य सचिव, राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण, संचालक, राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है तथा उन्हें सामान्य प्रशासन (सूचना का अधिकारी) सचिव, सूचना आयोग एवं सदस्य सचिव, राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण, संचालक, राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

7. श्री मनोज कुमार पिंगुआ, भा. प्र. से. (1994) संचालक, आदिमजाति कल्याण तथा प्रबंध संचालक, अंत्यावसायी वित्त विकास निगम को अपने वर्तमान कर्त्तव्य के साथ-साथ प्रबंध संचालक, राज्य भंडार गृह निगम का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिवराज सिंह, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 8 मई 2007

क्रमांक ई-7/56/2004/1/2.—श्री जी. एस. धनंजय, भा. प्र. से., कलेक्टर, उ. ब. कांकेर को दिनांक 23-05-2007 से 02-06-2007 तक (11 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 03-06-2007 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री धनंजय आगामी आदेश तक कलेक्टर, उ. ब. कांकेर के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री धनंजय को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री धनंजय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री धनंजय के उक्त अवकाश अवधि में कलेक्टर, उ. ब. कांकेर का चालू कार्य श्री श्याम धावड़े, अपर कलेक्टर, उ. ब. कांकेर सम्पादित करेंगे.

रायपुर, दिनांक 9 मई 2007

क्रमांक ई-7/1/2003/1/2.—इस विभाग का समसंख्यक आदेश दिनांक 7-04-2007 द्वारा श्रीमती निधि छिब्बर, भा. प्र. से., संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़, रायपुर को दिनांक 16-04-2007 से 03-05-2007 तक (18 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था. उक्त आदेश में दिनांक 03-05-2007 का (एक दिन) अर्जित अवकाश एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है. साथ ही दिनांक 02-05-2007 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

रायपुर, दिनांक 9 मई 2007

क्रमांक ई-7/9/2003/1/2.—श्री डी. एस. मिश्र, भा. प्र. से., प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग को दिनांक 09-05-2007 से 16-05-2007 तक (08 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री मिश्र आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री मिश्र को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मिश्र अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 9 मई 2007

क्रमांक ई-7/19/2004/1/2.—श्री सी. के. खेतान, भा. प्र. से., सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा व नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को दिनांक 16-5-2007 से 26-5-2007 तक (11 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 27-5-2007 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है साथ ही उन्हें स्वयं के व्यय पर विदेश (जापान) भ्रमण की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री खेतान आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा व नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री खेतान को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री खेतान अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 10 मई 2007

क्रमांक ई-7/13/2004/1/2.—श्री एम. के. राऊत, भा. प्र. से., सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विकास एवं आ. जा., अनु. जा. विकास विभाग को दिनांक 28-5-2007 से 08-6-2007 तक (12 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 27-5-2007 एवं 9, 10-06-2007 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है साथ ही उन्हें स्वयं के व्यय पर विदेश (ग्रीस, यूरोप) भ्रमण की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री राऊत आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विकास एवं आ. जा., अनु. जा. विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री राऊत को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राऊत अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 9 मई 2007

क्रमांक एफ 1-1/2006/1/5.—राज्य शासन इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 23 अक्टूबर, 2006 में उल्लिखित बैंकों की अर्द्धवार्षिक लेखाबंदी के लिए सोमवार दिनांक 01 अक्टूबर, 2007 को परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 के अधीन घोषित सार्वजनिक अवकाश को एतद्द्वारा निरस्त करता है तथा इसके स्थान पर बैंकों की अर्द्धवार्षिक लेखाबंदी के लिए शनिवार दिनांक 29 सितम्बर, 2007 को सार्वजनिक अवकाश घोषित करता है. सोमवार दिनांक 01 अक्टूबर, 2007 समस्त बैंकों का कार्य दिवस रहेगा.

रायपुर, दिनांक 15 मई 2007

क्रमांक एफ 1-2/2007/1/5.—भारत सरकार गृह मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 20-25-56-प. ब.-एक, तारीख 08 जून, 1957 के साथ पढ़ी गई "परक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट) 1881" (1881 का क्रमांक-26) की धारा-25 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा यह घोषित करता है कि उक्त स्पष्टीकरण के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ के विधान सभा क्षेत्र 38-मालखरौदा, जिला जांजगीर-चांपा तथा विधान सभा क्षेत्र 88-खैरागढ़, जिला राजनांदगांव में, विधान सभा उप-चुनाव के सिलसिले में दिनांक 02 जून, 2007 वार शनिवार मतदान के लिये, विधान सभा क्षेत्र 38-मालखरौदा, जिला जांजगीर-चांपा तथा विधान सभा क्षेत्र 88-खैरागढ़, जिला राजनांदगांव के लिये सार्वजनिक अवकाश का दिन होगा.

2. क्रमांक एफ 1-2/2007/1/5 राज्य शासन एतदद्वारा यह भी घोषित करता है कि छत्तीसगढ़ के विधान सभा क्षेत्र 38-मालखरौदा, जिला जांजगीर-चांपा तथा विधान सभा क्षेत्र 88-खैरागढ़, जिला राजनांदगांव में, विधान सभा उप-चुनाव के सिलसिले में दिनांक 02 जून, 2007 वार शनिवार मतदान के लिये, विधान सभा क्षेत्र 38-मालखरौदा, जिला जांजगीर-चांपा तथा विधान सभा क्षेत्र 88-खैरागढ़, जिला राजनांदगांव के लिये सामान्य अवकाश का दिन भी होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 अप्रैल 2007

क्रमांक/एफ-1-6/2006/25-1/आजावि.—इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के द्वारा छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति विकास (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2006 अधिसूचित किया गया था. उपर्युक्त अधिसचूना द्वारा अधिसूचित नियम में कतिपय लिपिकीय त्रुटि होने के कारण उपर्युक्त शक्तियों के तहत छत्तीसगढ़ के राज्यपाल उक्त नियम के निम्नांकित अंशों को अतिष्ठित करते हुए निम्नानुसार संशोधन/विलोपन/परिवर्धन करते हैं :—

(1) भरती नियम के पृष्ठ क्रमांक-16 में प्रकाशित अनुसूची-दो के क्रमांक 15-अनुसंधान अधिकारी, अल्पसंख्यक आयोग के समक्ष कालम (4) में अंकित "03" के स्थान पर "01" पढ़ा जावे.

(2) भरती नियम के पृष्ठ क्रमांक-16 में प्रकाशित अनुसूची-दो के क्रमांक 15-अनुसंधान अधिकारी, अल्पसंख्यक आयोग के समक्ष कालम (5) में अंकित "100%" विलोपित किया जाता है.

(3) भरती नियम के पृष्ठ क्रमांक-17 में प्रकाशित अनुसूची-दो के क्रमांक 16 (ii) के समक्ष कालम (3) में अंकित "मुख्य कार्यपालन अधिकारी" के स्थान पर "मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत" पढ़ा जावे.

(4) भरती नियम के पृष्ठ क्रमांक-17 में प्रकाशित अनुसूची-दो के क्रमांक 16 (ii) के समक्ष कालम (8) में अंकित "विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी" के स्थान पर "मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत" पढ़ा जावे.

(5) भरती नियम के पृष्ठ क्रमांक-17 में प्रकाशित अनुसूची-दो के क्रमांक 16 (ii) के समक्ष कालम (5) में "100%" अंकित है जिसे "40%" पढ़ा जावे तथा कालम (6) में "--" अंकित है, जिसे "60%" पढ़ा जावे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. मिंज, अतिरिक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 5 अप्रैल 2007

क्रमांक/एफ-1-6/2006/25-1/आजावि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक समसंख्यक दिनांक 5 अप्रैल 07 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. मिंज, अतिरिक्त सचिव.

Raipur, the 5th April 2007

No./F-1-6/2006/25-1/TWD.—In exercise of the powers conferred by the proviso Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh has vide memo of even number of this department, notified recruitment rules for the Chhattisgarh Scheduled Tribe and Scheduled Caste Development Department (Gazetted) 2006. Since there were certain clerical mistakes in the notification, the Governor, in exercise of the same powers, do hereby amend/delete/extend the points/clauses listed as below, namely :-

(1) "3" as published in column No. (4), item No. 15 of schedule II, at page No. 16 of the recruitment rules against Research Officer, minorities Commission may be read "1".

(2) "100%" as published in column No. (5), item No. 15 of schedule II, at page No. 16 of the recruitment rules against Research Officer, Minorities Commision is hereby deleted.

(3) "Chief Executive Officer", as published in column No. (3), item No. 16 (ii) of schedule II, at page No. 17 of the recruitment rules may be read "Chief Executive Officer, Janpad Panchayat".

(4) "Block Education Officer" as published in column No. (8), item No. 16 (ii) of schedule II, at page No. 17 of the recruitment rules may be read "Chief Executive Officer, Janpad Panchayat".

(5) "100%" as published in column No. (5) item No. 16 (ii) of schedule II, at page No. 17 of the recruitment rules may be read "40%" as well as, "--" may be read "60%".

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.
A. MINJ, Additional Secretary.

कृषि विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 मई 2007

क्रमांक/1741/डी-15/10/2005/14-3.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा 2 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3054-3000-चौदह-1, भोपाल, दिनांक 17-4-1964 द्वारा घोषित मण्डी प्रांगण में कृषि उपज मण्डी, कुरूद के मंडी क्षेत्र के निम्नलिखित स्थान सहित समस्त संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र को शामिल कर मण्डी प्रांगण घोषित करती है :—

स्थान

धमतरी जिले के कुरूद तहसील की ग्राम कुरूद की शासकीय नजूल भूमि खसरा नंबर 545 का रकबा 2 एकड़ भूमि का क्षेत्र.

सीमायें

1.	**उत्तर में**	शिव मंदिर से नया बाजार सड़क
2.	**दक्षिण में**	बाबा तालाब का भाग
3.	**पूर्व में**	वर्तमान मण्डी प्रांगण
4.	**पश्चिम में**	बाबा तालाब का शेष भाग एवं नगर पंचायत का सब्जी बाजार

Raipur, the 8th May 2007

No. 1741/D-15/10/2005/14-3.—In exercise of the powers conferred by clause (a) sub-section (2) of Section 5 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby includes the following place including all structure , enclosure, open place in the Market Yard, Kurud, declared vide department notification No. 3054-3000-fourteen-1, Bhopal, dated 17-04-1964 and declares market yard :—

PLACE

Part of land survey No. 545 area 2 acres situated at Village and Tehsil Kurud, District Dhamtari.

SURROUNDED BY

1.	**North side**	Shiv Mandir to Naya Bazar Road
2.	**South side**	Part of Baba Talab
3.	**East side**	Existing Market Yard
4.	**West side**	Rest part of Baba Talab and Vegetable Market of Nagar Panchayat

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 मई 2007

विषय :- छ. ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड के स्टाफिंग पैटर्न बाबत.

क्रमांक एफ 1-31/खाद्य/2003/29.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, रायपुर हेतु निम्नानुसार दर्शाये गये वेतनमान तथा संख्या अनुसार नियमित पद की स्वीकृति प्रदान करता है :-

क्र.	पदनाम	पद संख्या	वेतनमान
1.	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	01	8,000-13,500
2.	सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर	01	5500-9000
3.	कनिष्ठ तकनीकी सहायक	71	3050-4590
4.	वाहन चालक (संविदा पर)	29	2610-3540
5.	क्लीनर/तुलावटी (संविदा पर)	21	2550-3200

2. विभाग द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि दर्शाये गये वेतनमान सही है.

3. उक्त पदों की स्वीकृति के संबंध में वित्त विभाग के यू. ओ. जावक क्रमांक 451/सी. एन. 6663/ब-5/वित्त/चार/07, दिनांक 12-04-2007 द्वारा सहमति प्रदान की गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एस. तिवारी, उप-सचिव.

वित्त तथा योजना विभाग
[वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग]
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 मई 2007

क्रमांक एफ 6-45/2007/वा. क. (पं.)/पांच.—राज्य शासन द्वारा श्री डी. सी. पांडेय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, छत्तीसगढ़, रायपुर को दिनांक 12-3-2007 से 30-3-2007 तक कुल 19 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री पांडेय, आगामी आदेश तक महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, छत्तीसगढ़, रायपुर के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री पाण्डेय को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पाण्डेय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 मई 2007

क्रमांक-831/एफ 9-64/32/05.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 (क) की उपधारा (2) के अंतर्गत सूचना क्रमांक-482 एफ 9-64/32/05, दिनांक 14-03-2007 द्वारा रायपुर विकास योजना (उपांतरित) में निम्नानुसार उपांतरण प्रस्तावित किया गया है, जिसकी सूचना दो समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी.

रायपुर विकास योजना (उपांतरित) की सारिणी क्रमांक-4-सा-18 का उपांतरण

क्र.	सारिणी का क्र.	भूमि उपयोग परिक्षेत्र	सारिणी के कालम-4 में सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य भूमि उपयोग में निम्न गतिविधि जोड़ा जाकर उपांतरण किया जाए.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	04	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक	मल्टीप्लेक्स एवं सितारा होटल

सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है. राज्य शासन एतद्द्वारा रायपुर विकास योजना (उपांतरित) में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है तथा सूचित करता है कि यह उपांतरण रायपुर विकास योजना (उपांतरित) का अंगीकृत भाग होगा.

रायपुर, दिनांक 9 मई 2007

क्रमांक-834/एफ 9-64/32/05.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 (क) की उपधारा (2) के अंतर्गत सूचना क्रमांक-846 एफ 9-64/32/05, दिनांक 14-03-2007 द्वारा कोरबा विकास योजना में निम्नानुसार उपांतरण प्रस्तावित किया गया है, जिसकी सूचना दो समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी.

कोरबा विकास योजना की सारिणी क्रमांक-1.54 का उपांतरण

क्र.	सारिणी का क्र.	भूमि उपयोग परिक्षेत्र	सारिणी के कालम-4 में सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य भूमि उपयोग में निम्न गतिविधि जोड़ा जाकर उपांतरण किया जाए.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	04	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक	मल्टीप्लेक्स एवं सितारा होटल

सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है. राज्य शासन एतद्द्वारा कोरबा विकास योजना में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है तथा सूचित करता है कि यह उपांतरण कोरबा विकास योजना का अंगीकृत भाग होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. बजाज, विशेष सचिव.

गृह (सामान्य) विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 मई 2007

क्रमांक एफ-9-11/दो/गृह/07.—पंचायत एवं समाज विभाग के अधिकारियों के लिए राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 23 जनवरी 2007 को प्रश्न पत्र "समाज शिक्षा" (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री लालसाय निराला	सहायक महिला बा. वि. अ.	निम्नस्तर
2.	श्रीमंती सरोज बाला	पर्यवेक्षक	निम्नस्तर
	परीक्षा केन्द्र रायपुर		
3.	कु. किरण कौशल	जिला महिला बा.वि.अ.	सश्रेय
4.	कु. शैल ठाकुर	जिला महिला बा. वि.अ.	सश्रेय
5.	कु. गुरप्रीत कौर हूरा	जिला महिला बा.वि.अ.	सश्रेय

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय पिल्ले, सचिव.

राजस्व विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 मई 2007

क्रमांक एफ 1-25/2004/सात-3.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भू-अभिलेख नियमावली भाग-एक के अध्याय दो के नियम 3 उपनियम (1) को निम्नानुसार संशोधन करता है :—

3 (1) कम से कम हायर सेकेन्डरी परीक्षा (10+2) जो छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त हो, पास कर लिया हो.

3 (2) राज्य के भू-अभिलेख नियमावली भाग-एक नियम 3 के उपनियम 3 के बाद निम्नलिखित उप नियम (4) जोड़ता है :—

3 (4) गैर अनुसूचित क्षेत्रों के पटवारी पद पर चयनित उम्मीदवार को शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय या भारत सरकार अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थाओं से एक वर्ष के अन्दर कम्प्यूटर अर्हता (डिप्लोमा) प्राप्त करना अनिवार्य होगा.

Raipur, the 16th May 2007

No. F-1-25/2004/7-3.—State Government has made the amendment in Rule 3 of sub Rule (1) of Chhattisgarh Land Record Manual Part-I of Chapter two as given below :—

3 (1) At least higher secondary exam (10 +2) should be passed. Which is recognized by the Chhattisgarh Government.

3 (2) Sub Rule (4) is added as given below after sub Rule (3) of Rule 3 of Chhattisgarh Land Record Manual Part -I :—

3 (4) Computer Diploma must be receive by the Selected Candidate of non schedule area. under one year of selection date. from the institute which is recognized by the India Govt. or State Govt.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विलियम कुजूर, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 19 अप्रैल 2007

रा. प्र. क्रमांक 16/अ-82/2006-2007.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	पौंसरी प. ह. नं. 35	1.201	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	टेसुवा व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 19 अप्रैल 2007

रा. प्र. क्रमांक 17/अ-82/2006-2007.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	सिलदहा प. ह. नं. 37	0.781	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	टेसुवा व्यपवर्तन योजना के मुख्य एवं डिघोरा शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2007

क्रमांक 9/अ-82/2006-2007.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	छतौना प. ह. नं. 24	3.388	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	जल संसाधन उप-संभाग मुंगेली तोताकापा रहन नाला फीडर परिवर्तन योजना के नहर क्षेत्र.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

बिलासपुर, दिनांक 8 मई 2007

प्र. क्रमांक/9/अ-82/2006-07.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित अधिनियम सन् 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	बीजा	0.675	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा.	घोंघा जलाशय नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 8 मई 2007

क्रमांक 20/अ-82/2006-07.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	बुचुवाकापा प. ह. नं. 24	1.564	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन, संभाग मुंगेली.	जल संसाधन उप-संभाग मुंगेली तोताकापा रहन नाला फीडर परिवर्तन योजना के नहर क्षेत्र.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 8 मई 2007

क्रमांक 21/अ-82/2006-07.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खानें (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	पेण्ड्रीडीह प. ह. नं. 24	1.581	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन, संभाग मुंगेली.	जल संसाधन उप-संभाग मुंगेली तोताकापा रहन नाला फीडर परिवर्तन योजना के नहर क्षेत्र.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 14 मई 2007

क्रमांक/09/अ-82/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बेमेतरा	बीजाभाठ	03.14	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा.	हथमुड़ी नहर में प्रभावित

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बेमेतरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 14 मई 2007

क्रमांक/10/अ-82/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बेमेतरा	खिलोरा	4.66	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा.	हथमुड़ी नहर में प्रभावित

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बेमेतरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 14 मई 2007

क्रमांक/11/अ-82/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बेमेतरा	जेवरी	01.74	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा.	जेवरी एवं अमोरा माइनर में प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बेमेतरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 16 मई 2007

क्रमांक/233/ले. पा./भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा.4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	साजा	मासुलगोंदी प. ह. नं. 33	0.55	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायपुर.	बोरतरा से परपोड़ी मार्ग 3/2 कि. मी. पर सुरही नदी सेतु के पहुंच मार्ग बाबत्.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 16 मई 2007

क्रमांक/234/ले. पा./भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	साजा	तुमड़ीपार प. ह. नं. 33	0.25	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायपुर.	बोरतरा से परपोड़ी मार्ग कि. मी. 3/2.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 20 नवम्बर 2006

क्रमांक-क/भू-अर्जन/983.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	मुक्ता	3.72	अनुविभागीय अधिकारी, मांड नहर अनुविभाग क्रमांक 1 खरसिया.	मुक्ता माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी रा., डभरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 अप्रैल 2007

क्रमांक/भू-अर्जन/285B.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	भेड़ीकोना प.ह.नं. 13	1.39	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जांजगीर मु.-चांपा, जिला-जांजगीर-चांपा.	भेड़ीकोना जलाशय योजना के अंतर्गत डुबान क्षेत्र.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, डभरा, जिला जांजगीर-चांपा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 19 अप्रैल 2007

रा. प्र. क्र. 10/अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-देवरी, प. ह. नं. 31
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-8.52 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
28/2	0.10
25	0.20
22/2	0.11
23	0.20
22/1	0.12
20, 21	0.12
49	0.26
55/1	0.19
55/2	0.16
115/1	0.21
121/4	0.11
121/5	0.15
122	0.05
96	0.18
97	0.13
95	0.14
183/1	0.14
116	0.19
183/2	0.27
183/3	0.01
188/3	0.28
188/1	0.01
188/2	0.30
189/1	0.11
189/2	0.07
428/2	0.28
428/1	0.18
440/4	0.16
440/5	0.19
446	0.01
445	0.26
443/1	0.26
452, 457	0.34
458/1	0.11
458/2	0.11
458/3	0.11
610/1	0.28
470, 471, 472	0.31
476	0.34
477	0.19
496	0.23
497/1, 498/1, 499/3	0.10
497/2	0.08
505	0.23
607	0.29
504	0.08
503	0.10
605	0.43
610/2	0.02
608	0.02
योग 50	8.52

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- पथरिया व्यपवर्तन के शाखा नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 19 अप्रैल 2007

रा. प्र. क्र. 16/अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-पेटूलकापा, प. ह. नं. 31
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.50 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	1	0.35
	14/2	0.22
	14/1	0.32
	12	0.31
	15	0.27
	18/2	0.24
	22	0.48
	18/4	0.37
	23	0.22
	26	0.30
	27	0.09
	30	0.19
	32/2	0.14
योग	13	3.50

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- पथरिया व्यपवर्तन के शाखा नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 19 अप्रैल 2007

प्रकरण क्र. 20/अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-दलपुरवा, प. ह. नं. 31
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.78 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
15	0.24
16	0.20
18/1	0.60
18/2	0.12
19/1	0.01
21/2	0.26
21/1	0.26
412	0.24
22/1	0.20
22/2	0.11
416/2, 417/2	0.16
22/3	0.03
35, 36/1	0.25
34/2	0.34
34/1 ख	0.30
55, 56	0.04
411	0.06
413	0.06
72, 125, 127, 128, 129	0.02
105	0.22
126/2, 130/2, 131/2, 133/2	1.26
104	0.45
119/2 ख, 120, 124	0.12
420	0.08
338/3	0.03

(1)	(2)
421	0.14
419	0.08
418/2	0.07
418/3	0.06
416/1, 416/2	0.25
415/2 क	0.38
409, 410	0.11
415/2 ख	0.03
योग 33	6.78

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- पथरिया व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 19 अप्रैल 2007

रा. प्र. क्र. 28/अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-हरदी, प. ह. नं. 34
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.79 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
84/1	0.48
83	0.30
86	0.26
88	0.30
87	0.27
97	0.38
199	0.07
222	0.04
201/3	0.39
98/1	0.19
201/1, 202	0.15
200/1, 2	0.66
90	0.32
92	0.22
94, 95	0.25
93/3	0.07
203/1 घ	0.13
96/1	0.12
203/1 छ	0.02
203/1 ज	0.02
201/2	0.42
190/17	0.30
198/1	0.34
198/2	0.20
197/1	0.48
197/4	0.09
197/5	0.04
229, 230/2, 232/2	0.10
232/3	0.18
योग 29	6.79

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टेसुवा व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 8 मई 2007

प्रकरण क्रमांक 4/अ-82/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर (छ. ग.)

(ख) तहसील-कोटा

(ग) नगर/ग्राम-डिंडोल, प. ह. नं. 09

(घ) लगभग क्षेत्रफल-15.58 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
2	0.56
3	0.75
5	0.44
8	0.80
4/1	0.26
6/2	0.13
9/2	0.35
4/2	0.74
4/3	0.63
4/4	0.63
6/1	0.15
7/3	0.44
9/1	0.46
7/1	0.70
7/2	0.36
10/2	2.00
10/3	2.00
10/4	0.75
10/5	0.67
10/6	1.23
10/7	1.24
10/8	0.29
योग	15.58

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- महामाया जलाशय के डूबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 8 मई 2007

रा. प्र. क्र. 5/अ-82/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर (छ. ग.)

(ख) तहसील-कोटा

(ग) नगर/ग्राम-मझवानी, प. ह. नं. 06

(घ) लगभग क्षेत्रफल-19.85 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
418	0.85
446/2	0.15
419	0.43
420	1.45
421	0.97
431/1	0.30
412/2	0.14
412/5	0.07
412/8	0.08
447/3	0.41
412/4	0.14
412/6	0.10
412/13	0.28
431/2	0.54
437	0.72
412/7	0.10
412/9	0.16
412/11	0.44
431/3	0.30
439	0.72
442	0.30
447/4	0.07
422	0.38
425	0.37

(1)	(2)
426	0.94
429	0.64
423	0.36
424	0.24
430	0.53
432	0.28
438	0.81
447/5	0.30
433	0.47
435/2	0.15
440	0.07
441	1.14
443	0.75
444	1.23
445	0.87
446/1	0.15
402/2	0.080
434	0.65
योग	19.85

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- मझवानी जलाशय के डूबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 8 मई 2007

प्रकरण क्रमांक 6/अ-82/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ. ग.)
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-पीपरपारा, प. ह. नं. 5
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.12 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
81	1.90
82	0.72
83/4	0.17
83/9	0.17
83/10	0.16
योग	3.12

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रिगवार जलाशय के डूबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 8 मई 2007

प्रकरण क्रमांक 7/अ-82/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ. ग.)
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-रिगवार, प. ह. नं. 5
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-10.83 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
308	0.30
309/1	0.35
311	0.59
312/1	3.78
309/2	0.05
307/1	0.05

(1)	(2)
312/2	2.50
313/1	0.29
313/6	0.30
313/4	0.30
332/2 ख	0.30
313/7	0.30
313/5	0.29
313/8	0.31
314	0.57
315	0.55
योग	10.83

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रिगवार जलाशय के डूबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 11 मई 2007

क्रमांक/63/भू-अर्जन/अ.वि.अ./6/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुन्द
- (ख) तहसील-महासमुन्द
- (ग) नगर/ग्राम-फुटगुड़ा, प. ह. नं. 20
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.58 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
99	0.04
417	0.18
100	0.04
102	0.04
419	0.11
410	0.04
457	0.01
407	0.08
391	0.09
214	0.08
418	0.08
411	0.02
460	0.03
398	0.06
401	0.10
459	0.03
402/1	0.11
453	0.24
397	0.03
461	0.04
390	0.01
162	0.02
405	0.02
396	0.02
395	0.02
394	0.02
213	0.02
योग 27	1.58

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-हनुमानडीह जलाशय योजना के नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. जायसवाल, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 22 दिसम्बर 2006

क्रमांक-क/भू-अर्जन/2006/सा/1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छ. ग.)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-अमलडीहा, प. ह. नं. 19
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.15 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
253/5	0.15
योग	0.15

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मुक्ता वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 22 दिसम्बर 2006

क्रमांक-क/भू-अर्जन/2006/सा/1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छ. ग.)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-मड़वा, प. ह. नं. 20
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.42 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
197/2	0.01
256	0.12
200/1	0.05
201/2	0.04
257	0.11
203/2	0.04
247	0.18
204/1	0.14
743	0.03
205	0.18
323	0.01
248	0.15
249/1	0.15
258	0.23
265	0.07
260/2	0,01
261/1	0.15
266, 267	0.09
273/2	0.01
272/1-2	0.08
273/1	0.08
277/1-2	0.06
273/3	0.16
278	0.11
279/1	0.08
279/2	0.08
योग 26	2.42

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-मड़वा माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 22 दिसम्बर 2006

क्रमांक-क/भू-अर्जन/2006सा/1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छ. ग.)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-मुक्ता, प. ह. नं. 16
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.72 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
292	0.07
333, 334	0.04
293, 1037	0.05
316	0.18
488/1, 488/2	0.04
492	0.04
298/4, 297/4	0.04
314	0.04
289/1	0.05
298/1, 297/1	0.20
289/2	0.03
315	0.05
413, 588	0.19
322	0.05
463/3	0.10
532	0.05
592, 407	0.09
403/1, 404, 405	0.30
463/2	0.12
402	0.08
409, 410/1, 410/2	0.06
414	0.03
411	0.18
448	0.11
486	0.15
416, 587	0.10
450/2	0.10
463/1	0.05
468/2	0.16
469/2	0.09
467/1	0.06
467/2	0.06
467/3	0.06
487/1	0.05
487/2	0.04
489	0.08
452/1	0.12
490	0.12
493	0.11
494	0.09
42/2, 43/1	0.09
योग	3.72

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मुक्ता माइनर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 16 अप्रैल 2007

क्रमांक-क.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छ. ग.)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-भेड़ीकोना, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.561 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
14/4	0.052

(1)	(2)
42/1	0.509
योग 2	0.561

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- भेड़ीकोना जलाशय अंतर्गत डूबान क्षेत्र.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अ. वि. अ. (राजस्व), डभरा कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 19 अप्रैल 2007

क्रमांक/सी-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छ. ग.)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-जवाली, प. ह. नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.57 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
712/1, 719/1	0.14
719/2	0.08
748	0.07
709, 710	0.01
749	0.04
750/1	0.06
750/2	0.06
751/1	0.01
741/3	0.18
741/7	0.01
754	0.06
753/3	0.12
753/4	0.01
756	0.06
757/1	0.20
757/2	0.02
769/2	0.03
769/1	0.13
767/2	0.05
768/1	0.09
773/1	0.07
773/2	0.08
773/3	0.08
775/1	0.05
776/2	0.13
778/1	0.09
778/2	0.03
785/1	0.06
789	0.07
784	0.03
783/1	0.02
783/2	0.12
782/1	0.03
799	0.07
800	0.12
898/3	0.06
747	0.03
योग 36	2.57

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-जवाली माइनर क्र. 2.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 मई 2007

क्रमांक 678/भू-अर्जन/अ.वि.अ./07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छ. गं.)
(ख) तहसील-पामगढ़
(ग) नगर/ग्राम-झिलमिली, प. ह. नं. 4
(घ) लगभग क्षेत्रफल-47.41 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
25/1	0.71
47/2	0.13
25/3	0.72
47/7	0.13
25/2	0.30
26	0.34
27	0.37
28/1	0.60
28/2	0.09
28/3	0.30
28/4	0.09
29/1	0.18
87/1	0.01/2
29/2	0.30
49/2	0.12
29/5	0.30
49/3	0.11
29/3	0.40
29/4	0.18
87/2	0.71 1/2
30/1	0.72
117	1.81
30/2	0.34
31/1	0.14
31/2	0.14
31/3	0.14
31/4	0.41
32	0.55
33	0.60
34/1	0.30
34/2	0.30
34/3	0.29
35	0.80
36/1	1.00
36/2	0.07
36/3	0.07
36/4	0.03
37/1	0.86
37/2	0.14
38/1	0.11
38/2	0.60
40/1	0.17
40/2	0.20
41/1	0.11
41/2	0.28
42/1	0.47
85/1	0.96
42/2	0.48
85/2	1.28
44	0.37
45/1	0.24
45/2	0.07
45/3	0.07
46	0.40
94/1	1.70
47/1	0.64
47/3	0.18
47/4	0.24
47/5	0.24
47/8	0.41
47/6	0.24
48/1	0.38
48/2	0.37
49/1	0.98
50/1	0.21
51	1.25
50/2	1.00
50/3	1.00
50/4	1.00
52	0.75
83/5	0.50
83/3	1.00
54/2	0.35
73/1	0.94
83/1	0.67
84/8	0.87
83/4	0.27
84/9	0.30
86	2.95
88	0.82
90	0.07
92	0.02

(1)	(2)
91	0.09
93	0.34
116/1	0.93
116/3	0.50
116/6	0.50
116/4	1.39
116/5	1.00
116/2	1.19
118/3	0.40
118/7	0.40
87/3	0.71
योग 93	47.41

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-छ:डोलिया जलाशय निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (रा.) पामगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय कलेक्टर, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

महासमुन्द, दिनांक 30 अप्रैल 2007.

क्रमांक/422/मं. स. ग./2007.—छत्तीसगढ़ कृषि मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 (1) के खंड (झ) के अनुसार सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक महासमुन्द की ओर से महासमुन्द जिले में स्थित 5 कृषि उपज मण्डी समितियों के लिए निम्नानुसार सदस्य का नाम-निर्दिष्ट किया जाता है.

क्रमांक (1)	सदस्य का नाम व बैंक प्रबंध समिति में पद (2)	मंडी समिति का नाम (3)
1.	श्री माखनधर दीवान, अध्यक्ष	कृषि उपज मंडी, पिथौरा
2.	श्री चैनुराम साहू, सदस्य	कृषि उपज मंडी, महासमुंद
3.	श्री अंजन चन्द्राकर, सदस्य	कृषि उपज मंडी, बागबाहरा
4.	श्री दयानिधि पटेल, सदस्य	कृषि उपज मंडी, बसना
5.	श्री ओमप्रकाश चौधरी, सदस्य	कृषि उपज मंडी, सरायपाली

एस. के. तिवारी,
कलेक्टर.

कार्यालय, संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर (छ. ग.)

रायपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2007

क्रमांक/1889/नग्रानि/विधि/एल. यू. 04/07.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 (1) के अनुसरण में रायपुर निवेश क्षेत्र में सम्मिलित किये गये 61 अतिरिक्त ग्रामों के लिये वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर का प्रकाशन सूचना क्रमांक 5782/एल. यू.-04/2006, दिनांक 21-08-06 द्वारा किया गया था.

अत: एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्व-साधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट रायपुर निवेश क्षेत्र में सम्मिलित 61 अतिरिक्त ग्रामों के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को तदनुसार सम्यक् रूप से अंगीकृत किया जाता है, एवं इस सूचना की प्रति अधिनियम की धारा 15 (4) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है, जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर सम्यक् रूप में तैयार कर अंगीकृत कर लिया गया है.

अनुसूची

रायपुर निवेश क्षेत्र की पुनरीक्षित सीमाएं

1. **उत्तर में -** ग्राम- बहेसर (ध), मुनरेठी (ध), परसतराई (ध), धरसींवा (ध), तिवरैया (ध) एवं गोढ़ी (ध), नगरगांव (ध), टोर (ध) ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.

2. **पश्चिम में -** ग्राम- बहेसर (ध), चिखली (ध), कुम्हारी (ध), पठारीडीह (ध), बेन्द्री (ध), कारा (ध), बाना (ध), गुमा (ध), गोमची (ध), हतबंध (ध), अटारी (ध), चन्दनीडीह (ध), सरोना (ध), रायपुरा (ध), भाठागांव (ध), काठाठी (ध), दतरेंगा (ध) एवं डोमा (ध) ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

3. **दक्षिण में -** ग्राम- डोमा (ध), खिलोरा (अ), सिवनी (अ), धुसेरा (अ), सेजबहार (ध), कान्दुल (ध), डूण्डा (ध), देवपुरी (ध), डुमतराई (ध), फुण्डहर (ध), जोरा (ध), लभाण्डीह (ध), शंकरनगर (खम्हारडीह) (ध), सड्डू (ध), आमासिवनी (ध), संकरी (ध), धनसुली (आ), बहनाकाड़ी (आ) ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.

4. **पूर्व में -** ग्राम- बहनाकाड़ी (आ), नरदहा (आ), दोंदेकला (ध), मटिया (ध), बरबंदा (ध) एवं टोर (ध) ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत मानचित्र एवं रजिस्टर छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के लिए निम्नलिखित स्थान पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन समय में अवकाश के दिन छोड़कर अवलोकन के लिये उपलब्ध रहेगा.

निरीक्षण स्थल - नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर.

Raipur, the 23rd April 2007

No./1889/नग्रानि/विधि/LU. 04/07.—The existing Land use map and register for the Raipur planning Area 61 villages have been additionally included for which the existing land use maps and register was published under Sub-section (1) of Section 15 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) vide Notice No. 5782/LU-04/06 dated 21-08-2006.

Therefore, a notice is hereby given for general information of the public that the existing Land use maps and registers of Raipur planning Area 61 villages have been additionally included for which the existing land use maps and register so prepared and published are duly adopted by the Director, Town & Country planning, under the provision of sub-section (3) of section 15 of the said Adhiniyam and a copy of the notice is also sent of its publication in Chhattisgarh

Gazette, under the provision of sub-section (4) of section 15 of the said Adhiniyam, which shall be conclusive evidence of the fact that the above maps and register have been duly prepared and adopted on dt.

SCHEDULE

RECONSTITUTED LIMITS OF THE PLANNING AREA RAIPUR

1. **North -** Village- Bahesar (Dh), Munrethi (Dh), Parstarai (Dh), Dharsiwa (Dh), Tivraiya (Dh), Godhi (Dh), Nagargaon (Dh) and upto the Northern limits of village Tor (Dh).

2. **West -** Village- Behesar (Dh), Chikhali (Dh), Kumhari (Dh), Patharidih (Dh), Bendri (Dh), Kara (Dh), Bana (Dh), Guma (Dh), Gomachi (Dh), Hathband (Dh), Atari (Dh), Chandni-dih (Dh), Sarona (Dh), Raipura (Dh), Bhatagaown (Dh), Kathathi (Dh), Datarenga (Dh) and upto the western limits of village Doma (Dh).

3. **South-** Village- Doma (Dh), Khilora (Ab), Seoni (Ab), Dhusera (Ab), Sejbahar (Dh), Kandul (Dh), Dunda (Dh), Devpuri (Dh), Dumartarai (Dh), Phundahar (Dh), Jora (Dh), Labhandih (Dh), Shankar Nagar (Khamhardih) (Dh), Saddu (Dh), Amaseoni (Dh), Sakari (Dh), Dhansuli (A) and Southern limits of village Bahnakadi (A).

East - Village- Bahnakadi (A), Nardaha (A), Dondekala (Dh), Matiya (Dh), Barbanda (Dh) and upto the Eastern limits of village Tor (Dh).

The said adopted maps and registers shall be available for inspections of general public at following place during office hours for a period of 15 days from the publication of the notice in Chhattisgarh Gazette.

Place of Inspection - Divisional Office Town and Country Planning Raipur.

जाहिद अली,
संयुक्त संचालक.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 10th May 2007

No. 209/II-15-19/2002.—In exercise of the powers conferred by clause (2) of the Article 229 of the Constitution of India, Hon'ble the Chief Justice of the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur, makes the following amendments in the Chhattisgarh High Court Establishment (Appointment and Conditions of Service) Rules, 2003 which shall come into force with immediate effect :-

AMENDMENTS

The existing Rule 5 (1) of Part-IV of the Chhattisgarh High Court Establishment (Appointment and Conditions of service) Rules, 2003 incorporated vide Notification No. 172/II-15-19/2002, dated 25-12-2006 is hereby withdrawn and the amendment of the said Rule incorporated vide Notification No. 46/II-15-19/2002 dated 28-03-2006,

which is reproduced below, is restored with effect from 25-12-2006 :—

S. No.	Name of the Post	Source & Method of Appointment
1.	Assistant Registrar	By promotion strictly based on merit-cum-seniority from amongst incumbents holding the following posts : (i) Section Officers (ii) Private Secretary, Librarian, Assistant Editor (I.L.R.) **Note-** Vacancies in the sanctioned posts of Assistant Registrar shall be filled up in the ratio of 50:50 between (i) & (ii) categories noted above.

Bilaspur, the 10th May 2007

No. 211/II-14-1/2006.—The interview for the post of Assistant Registrars were taken on 16-11-2006 in accordance with the Rule 5 (1) of the Chhattisgarh High Court Establishment (Appointment and Conditions of Service) Rules, 2003 as then prevailing Rules, whereas the promotion orders were passed on 25-12-2006, based on newly amended rule dated 25-12-2006. Therefore, Hon'ble the Chief Justice, after consideration of the representation of the Officers of the Registry, has been pleased to recall the following Orders with immediate effect :-

1. Order No. 173/II-14-1/2006, dated 25-12-2006 whereby the seniority of Private Secretaries & Sections Officers was fixed.

2. Order No. 181/II-14-1/2006, dated 25-12-2006 whereby promotion order of Assistant Registrars was issued.

Bilaspur, the 10th May 2007

No. 213/II-14-1/2006.—The interview for the post of Additional Registrar/Budget Officer were taken on 11-12-2006 on the basis of seniority list issued vide Order No. 135/II-14-1/2004 dated 24-12-2004 of Dupety Registrars, whereas after revising the seniority of the Deputy Registrars, vide order No. 174/II-14-1/2006 dated 25-12-2006, the promotion orders to the post of Additional Registrar/Budget Officer were passed, based on the revised seniority list issued vide Order No. 175/II-14-1/2006 dated 25-12-2006. Therefore, after consideration of the representation of the Officer of the Registry, Hon'ble the Chief Justice has been pleased to recall the following Orders with immediate effect :—

1. Order No. 174/II-14-1/2006, dated 25-12-2006 whereby the seniority of the then Deputy Registrars was fixed on the post of Assistant Registrar.

2. Order No. 175/II-14-1/2006, dated 25-12-2006 whereby seniority of Deputy Registrars was fixed.

3. Order No. 176/II-14-1/2006, dated 25-12-2006 whereby seniority of Assistants Registrars was fixed.

4. Order No. 179/II-14-1/2006, dated 25-12-2006 whereby Shri Manish Hande, Deputy Registrar was appointed on promotion to the post of Additional Registrar.

5. Order No. 180/II-14-1/2006, dated 25-12-2006 whereby Shri Brajesh Mishra, Deputy Registrar was appointed on promotion to the post of Budget Officer.

Bilaspur, the 10th May 2007

No. 215/II-14-1/2006.—Consequent upon recalling of the promotion orders issued vide Order No. 179/II-14-1/2006 dated 25-12-2006 and 180/II-14-1/2006 dated 25-12-2006 to the post of Additional Registrar & Budget Officer respectively, Hon'ble the Chief Justice has been pleased to recall the promotion order of Shri Pooran Singh Thakur, Assistant Registrar to the post of Deputy Registrar issued vide order No. 177/II-14-1/2006, dated 25-12-2006 with immediate effect.

By order of Hon'ble the Chief Justice,
HEERA SINGH MARKAM, Registrar General.